FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई   मुकाम अरांई (अजमेर)

•काला देवी पत्नी स्व. श्री गोविन्द जाति मीणा उम्र लगभग 48 साल निवासी ग्राम गोली तहसील अरांई जिला अजमेर राज —वादीगण

बनाम

• हनुमान पुत्र जवरी जाति मीणा उम्र लगभग 60 साल निवासी ग्राम गोली तहसील अरांई जिला —प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा— *88,53,209 राज0 का0 अधि0 1955*

नंबर **42** / 2022

ऑनलाइन नंबर **2022** / 43

वकील वादी योगेशशर्मा   **वकील प्रतिवादीगण**..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.06.2022	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री योगेशशर्मा ने अन्तर्गत धारा राज. का. अधि. धारा 88,53,209 के तहत् पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 17.06.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
17/6/2022	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप.। प्रतिवादीग. 1 से 4 के तामिलशुदा नोटिस प्रा. कि.। वकील [illegible] रामचन्दानी उप. [illegible] w/o गोविन्द व कन्हैयालाल s/o गोविन्द की ओर से वकालतनामा व प्रा. पत्र O1 R10(2) सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. पेश [illegible] प्रा. कि.। पत्रावली दिनांक 08/7/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

21/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरा/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..................
दिनांक 21/1/25 को पेश हो।

21/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.।
कार्य संपादित नहीं...........
पत्रावली दिनांक 21/3/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

21.3.25 पत्रावली पेश हुई आज....... ① R किशनगढ़ 2016
.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9.5.2025 को
पेश हो।

9/5/25 पत्रावली पेश हुई आज....... बार किशनगढ़
.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/6/25 को
पेश हो।

27/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरा/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..................
दिनांक 12/9/25 को पेश हो।

12/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.।
कार्य संपादित शेष हेतु
पत्रावली दिनांक 31/10/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

31/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनु0। न्यायालय समय में क्रम-2 पर तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वकील पक्षकारान अनु0। पत्रावली अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रिकॉर्ड हो।